प्रस्तावना

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

बिहार सरकार के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करना और वित्तीय आंकड़े के लेखापरीक्षा विश्लेषण के आधार पर राज्य विधानमंडल को जानकारी प्रदान करना है। इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय हैं।

अध्याय I - राज्य के वित्त का विहंगावलोकन

यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है तथा राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। इसमें घाटे/अधिशेष, ऋण संरचना और प्रमुख लोक लेखे लेन-देन सहित प्रमुख सूचकांकों और राज्य की राजकोषीय स्थिति का वृहद राजकोषीय विश्लेषण शामिल है।

अध्याय II - बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन को प्रतिवेदित करता है।

अध्याय III – वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए लेखे की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन न करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों को समाहित करने वाले प्रतिवेदन अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, किसी राज्य के लेखों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) का प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उन्हें राज्य के विधान-मंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाते है।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत अभिश्रवों, चालान और प्रारंभिक तथा सहायक लेखों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे को संकलित करता है। इन लेखों की लेखापरीक्षा महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाती है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के लिए मुख्य आकड़े हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: राजकोषीय मापदंडों और आवंटन प्राथमिकताओं के आकलन के साथ-साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता तथा प्रासंगिक नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन के लिए;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय अधिकारियों और कोषागारों के पास अन्य आँकड़े (लेखांकन के साथ-साथ एमoआईoएसo);
- जीoएसoडीoपीo आँकड़े और अन्य राज्य संबंधित सांख्यिकी;
- राज्य की राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफoआरoबीoएमo) अधिनियम;
- वित्त आयोग की सिफारिशें;
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन; एवं
- भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाएँ और दिशानिर्देश।

प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार के साथ दिनांक 10.10.2025 को एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तैयारी में अपनाए गए लेखापरीक्षा दृष्टिकोण के बारे में बताया गया। सरकार का जवाब जहाँ भी प्राप्त हुआ है, उसे प्रतिवेदन में समुचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

सरकारी लेखे की संरचना

राज्य सरकार के लेखाओं को तीन भागों में रखा जाता है।

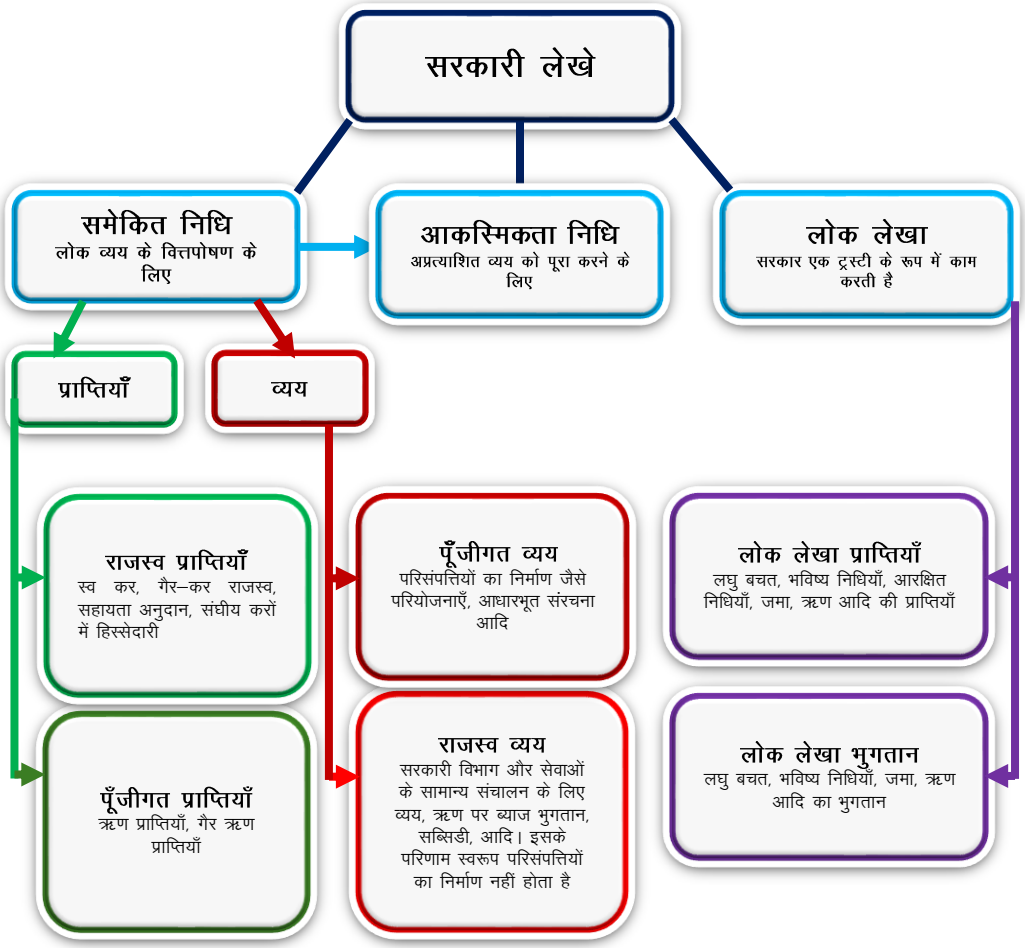

राज्य की संचित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बॉण्ड, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋणों के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि शामिल है। इस निधि से कोई भी धन विधि के अनुसार और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी धन को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि), राज्य की संचित निधि (प्रभारित व्यय) पर एक प्रभार है और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका के मताधीन होते हैं।

2 राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2))

राज्य विधायिका द्वारा विधि सम्मत स्थापित यह निधि अग्रिम प्रकृति की है और इसे राज्यपाल के अधिकार में रखा गया है ताकि राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसे व्यय के प्राधिकार को लंबित रखते हुए अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम राशि प्रदान की जा सके। इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की संचित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष पर व्यय को नामे करके की जाती है।

3 राज्य के लोक लेखे (संविधान का अनुच्छेद 266 (2))

उपर्युक्त के अलावा, सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक निधि, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती है। लोक लेखे में लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (ये दोनों अस्थाई शीर्ष है, अंतिम लेखांकन लंबित) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी लोक लेखे में शामिल होते हैं। लोक लेखे विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।